(36)

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 27-8-19 पारित द्वारा श्री इकबाल सिंह बैंस अध्यक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक पीबीआर/विविध/भोपाल/भू.रा./2018/1800. विरूद्ध कलेक्टर भोपाल का पत्र क्रमांक 395 / री.-कलै. /2018 भोपाल दिनांक 08-02-2018 जिसके द्वारा कलेक्टर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 2/अ-6-अ/06-07 आदेश दिनांक 06-11-2006 के पुर्नाविलोकन की अनुमति चाही गयी है ।

मध्यप्रदेश शासन ....आवेदक

विरूद्ध

अभिषेक जैन आ० कोमलचंद जैन
निवासी- 10/3, पुराना कबाडखाना जुमेराती भोपाल ....अनावेदक

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(3)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/विविध/भोपाल/भू0रा0/2018/1800

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/8/19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । जिला कलेक्टर के समक्ष अभिषेक जैन आत्मज कोमलचंद जैन ने म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । उनके द्वारा यह तथ्य कलेक्टर के समक्ष लाया गया कि ग्राम सूखी सेवनिया स्थित भूमि खसरा क्रमांक 555 रकबा 0.42 हेक्टर, एवं 574 रकबा 0.54 हेक्टर तथा खसरा क्रमांक 575 रकबा 1.10 हेक्टर पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा उन्होंने दिनांक 29-3-2004 को क्रय की थी । राजस्व न्यायालय द्वारा विधिवत् नामान्तरण पंजी क्रमांक 14 में पारित आदेश दिनांक 7-5-2004 के द्वारा खसरे में उनके नाम भी प्रविष्ट कर दिये गये । परन्तु अनावेदकगण सुरेशचंद तथा अन्य के द्वारा एक अन्य प्रकरण ग्राम सूखी सेवनिया के खसरे नम्बरों में बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटि को सुधार करने की मॉग की थी । उस त्रुटि को सुधार करने की प्रक्रिया में पुनर्विलोकनकर्ता के स्वत्व की भूमि पर उनका नाम हटाकर विक्रेता का नाम दर्ज कर दिया गया । 2/ कलेक्टर जिला भोपाल ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 6-2-2018 के द्वारा इस त्रुटि को सुधार करने के लिये पुनर्विलोकन करने की अनुमति चाही है । प्रकरण के तथ्य को देखते हुये पुनर्विलोकन अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रकरण में जिला कलेक्टर स्वयं सभी हितबद्ध पक्षकारों को आहूत कर उनकी सुनवाई करेंगे । तदोपरांत मूल प्रकरण क्रमांक 2/अ-6-अ/2006-07 में दिनांक 6-11-2006 को पारित आदेश में यथोचित संशोधन करेंगे । (इकबाल सिंह बैंस) अध्यक्ष 27/8/19	